

प्रकरण संख्या 35/17

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर
दायरा दिनांक 18.05.2017

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर
प्रार्थी.....

बनाम
जैसाराम पुत्र सुरजाराम जाति प्रजापत निवासी कातर छोटी
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक.....

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी जैसाराम पुत्र सुरजाराम जाति प्रजापत निवासी कातर छोटी ने ग्राम कातर छोटी नोखा सड़क मार्ग के उत्तर दिशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 81.42 वर्ग मीटर भूमि पर दुकान का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 13.06.2017 को अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि उसने उक्त भूमि पर नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है। उसने ग्राम पंचायत अमरसर के द्वारा जारी पट्टा संख्या 128 दिनांक 07.06.1991 को जारी में अपना निर्माण करवाया है। जो अतिक्रमण में नहीं आता है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी जैसाराम पुत्र सुरजाराम जाति प्रजापत निवासी कातर छोटी ने सड़क सीमा में निर्माण किया है प्रस्तुत पट्टे में तत्कालीन ग्राम पंचायत को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सीमा में पट्टे जारी करने का विधिसम्मत अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थी ने सा0नि0वि0 की सड़क सीमा में 81.42 वर्ग मीटर भूमि पर दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 81.42 वर्ग मीटर की राशि 01/- एक रुपया वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर